फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री केशव बनाम विपक्षी : श्री शंकरलाल व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 17/21

कार्यवाही विवरण

दिनांक 04.09.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षीगण मय विपक्षी संख्या 1/1 से 3, 4/1 से 5 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1/1 से 3, 4/1 से 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। प्रकरण मे विपक्षी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने से प्रार्थना पत्र प्रकरण कन्सोलेटेड किये जाने बाबत पर कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः प्रार्थना पत्र कन्सोलेटेड इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया था तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि मे प्रार्थी खातेदार काश्तकार हो अपने खातेदारी की कृषि भूमियों पर काबिज होकर निरन्तर बिना किसी बाधा के उपयोग उपभोग कर रहा हूँ जिसमें विपक्षीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है लेकिन विपक्षीगण नाजायज रूप से मुझ प्रार्थी की जमीन को हडपने की नियत से मेरे खातेदारी की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर निर्माण करने पर आमादा हो रहे और मुझ प्रार्थी को अपने खातेदारी व कब्जे की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है और मेरे खातेदारी व कब्जे की भूमि के उपयोग उपभोग में भी बाधा उत्पन्न कर रहे है जबकि विपक्षीगण का उक्त वर्णित कृषि भूमि में कोई हक अधिकार नहीं है जिससे विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया व अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्रार्थनाग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत् 2050–53 से पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार है विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं है जिससे प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी का हित निहित है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है। अन्य बिन्दुओं को मूल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किया जायेगा। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा कानोड ए पटवार हल्का कानोड हाल तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2050–53 की खाता संख्या नया 260 आराजी सं. 345, 346, 348, 369, 354/3, 344 347 358/4 किता 6 रकबा 11 बिघा 6 बिस्वा भूमि मे भू–प्रबन्धन के बाद बने नये नम्बरान के आधार पर विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके की यथास्थिति बनाए रखें। किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश चन्द्र बहेडिया RAS)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
भीण्डर